<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य तेलों (एक घटक के रूप में एकल तेल) में मिलावट रोकने और ट्रांस-फैटी एसिड तथा उचित लेबलिंग के बिना बहु-स्रोत वाले खाद्य तेलों की बिक्री की जाँच करने एवं खुले खाद्य तेलों की बिक्री पर नकेल कसने के लिए 01.08.2022 से 14.08.2022 तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया।

इस अभियान के तहत पूरे देश में 10.08.2022 तक पैकेज्ड खाद्य तेलों, वनस्पति और बहु-स्रोत वाले खाद्य तेलों के 3555 निगरानी नमूने जमाकर अभूतपूर्व कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, अभियान के विशिष्ट लक्ष्य के रूप में, अब तक लगभग 28 लाख रुपये के 22000 लीटर खुले खाद्य तेल जब्त किए जा चुके हैं।

खाद्य तेलों में मिलावट करने वालों को कड़ा संदेश देने के अलावा जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों में प्रिंट के साथ-साथ सोशल मीडिया द्वारा इस अभियान को व्यापक कवरेज दिया जा रहा है।

एफएसएसएआई और राज्य एफडीए द्वारा अभियान की प्रगति की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है। नमूने दैनिक आधार पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजे जा रहे हैं ताकि उनके परिणाम समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सकें और किसी भी निगरानी नमूने की विफलता के तुरंत बाद ऐसे खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए नियामक नमूने तैयार किए जा सकें।

11.08.2022

*****

मीडिया के प्रश्नों के लिए संपर्क करें:

रुचिका शर्मा

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

ई: sharmaruchika.21@gmail.com